संख्या—768 / 63—व0उ0—2016—40(एच) / 2015

प्रेषक,

कुमार कमलेश
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,
हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग,
उ0प्र0, कानपुर।

हथकरघा वस्त्रोद्योग अनुभाग — लखनऊ : दिनांक 10 जून, 2016

विषय :— हथकरघा बुनकरों को विद्युत दर में छूट की प्रतिपूर्ति योजना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या—1022 / ह0क0—सह0अनु0 / 2015—16 दिनांक 09.03.2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि हथकरघा बुनकरों को विद्युत दर में छूट की प्रतिपूर्ति योजना की गाइडलाइन्स एतद्द्वारा निम्नवत प्रख्यापित की जाती है :—

1.2—योजना का लाभ लेने हेतु लाभार्थी की पात्रता

लाभार्थी हथकरघा बुनकर की आयु 18 से कम न हो और वह हथकरघा बनुकरी के व्यवसाय में लगा हो। हथकरघा बुनकर के पास भारत सरकार / हथकरघा विभाग के सक्षम प्राधिकारी / सहायक आयुक्त हथकरघा द्वारा जारी हथकरघा बुनकर प्रमाण—पत्र होना चाहिए। हथकरघा बुनकर का संबंधित क्षेत्र जहां वह पंजीकृत हो, विद्युत विभाग में स्वयं के नाम से 02 किलो वाट तक विद्युत भार का विद्युत कनेक्शन होना चाहिए। हथकरघा बुनकर पर शासनादेश सं0—1969 / 24—पी—3—2006 दिनांक 14.06.2006 (संशोधित शासनोदश यदि कोई जारी किया जाय) में दिये गये निर्देश भी लागू होंगे। ऐसे हथकरघा बुनकर जिनके नाम स्वयं का विद्युत कनेक्शन नहीं है, अर्थात उनके पिता / माता के नाम विद्युत कनेक्शन है और वे मर चुके हैं अथवा कोई अन्य कार्य करते हैं तो ऐसे हथकरघा बुनकर से परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त इस आशय का एक शपथ—पत्र लेंगे कि योजना का लाभ लेने वाला हथकरघा बुनकर एक माह के भीतर उस विद्युत कनेक्शन को अपने नाम अनिवार्यतः हस्तान्तरित करा लेगा, भी पात्र होंगे। यदि ऐसे हथकरघा बुनकर उल्लिखित समय सीमा में अपने नाम से विद्युत कनेक्शन को अपने नाम हस्तानान्तरित नहीं करा पायेंगे तो उनको उक्त योजना की पात्रता में नहीं रखा जायेगा।

1.3— जिलावार / परिक्षेत्रवार हथकरघा बुनकरों के चयन की प्रकिया

हथकरघा पर प्रि—लू / पोस्ट—लूम कियाओं पर हथकरघा बुनकर द्वारा की जाने वाली विद्युत खपत को अवैधानिक न माना जाय। सामान्यतः घरेलू प्रयोग में हथकरघा बुनकर परिवार का प्रत्येक माह औसतन रू0 350 / — विद्युत बिल आता है। हथकरघा की अन्य प्रि—लूम / पोस्ट—लूम कियाओं के उपरान्त प्रत्येक माह औसतन रू0 400 / —विद्युत बिल आने का अनुमान है। पावरलूम बुनकरों की भॉति हथकरघा बुनकरों से भी फिक्स रेट रू0 72 / — प्रति माह / हथकरघा बुनकर लिया जाय। इस प्रकार प्रत्येक हथकरघा बुनकर कनेक्शन पर प्रति माह विद्युत बिल पर सब्सिडी हेतु रू0 328 / —एवं वार्षिक रू0 3936 / — का व्यय भार अनुमानित है। जिस परिक्षेत्र / जिले में हथकरघा बुनकर व्यवसाय चला रहा हो, वहां हथकरघा बुनकर व्यवसाय में लगे बुनकर जो हथकरघा बुनकर होने की निर्धारित पात्रता को पूर्ण करते हैं, को उक्त योजना का लाभ लेने हेतु संबंधित जिले / परिक्षेत्र के सहायक आयुक्त, हथकरघा के कार्यालय में घोषणा पत्र देना होना (घोषण पत्र शासनादेश सं.—19691969 / 24—पी—3—2006 दिनांक 14.06.2006 के संलग्नक के अनुसार होना चाहिए) देना होगा। संबंधित परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त, हथकरघा एवं विद्युत विभाग के अधीक्षण / अधिशासी अभियन्ता ऐसे सभी हथकरघा बुनकरों का निर्धारित अर्हता के

उपायुक्त (DR)
(घिसियावन) 14.6.2016
वैयक्तिक सहायक
आयुक्त एवं निदेशक
14.6.2016

निजि निदेशक (ह0क0)
डायरी नं० 514
दिनांक 14/6/16

/जिले के परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त, हथकरघा एवं विद्युत विभाग के अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ता द्वारा जनपदवार/ब्लाकवार/गांववार/मोहल्लावार सत्यापित सूची जिसमें हथकरघा बुनकर का विवरण संलग्न प्रारूप पर विद्युत कनेक्शन संख्या एवं विद्युत भार सहित स्पष्ट रूप से अंकित किया जायेगा, प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ एवं हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय, उ0प्र0 कानपुर को संस्तुति सहित प्रेषित करेंगे। इस प्रकार चयनित हथकरघा बुनकरों को उनके विद्युत बिल में उस वित्तीय वर्ष हेतु रू0 3936/– वार्षिक की छूट प्रदान करायी जायेगी। इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु बजट व्यवस्था में उपलब्ध कुल धनराशि से अधिक लाभार्थी हथकरघा बुनकरों द्वारा दावा की गयी धनराशि होगी, तो लाभार्थी हथकरघा बुनकरों को निम्नानुसार प्राथमिकता दी जायेगी :–

1– हथकरघा बुनकर के नाम स्वयं का विद्युत कनेक्शन हो।
2– हथकरघा बुनकर गरीबी रेखा के नीचे हो।
3– महिला हथकरघा बुनकर हो।
4– हथकरघा बुनकर के पास चालू हालत में हथकरघा हो।

1.4–योजना हेतु बजट/धनराशि की मांग

परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त हथकरघा के प्रस्ताव को संकलित कर संबंधित वित्तीय वर्ष में हथकरघा बुनकरों को विद्युत दर में छूट की प्रतिपूर्ति दिये जाने के लिए आंगणित धनराशि की मांग शासन से की जायेगी।

1.5–व्यय की प्रकिया

बजट प्राविधानों के अन्तर्गत संबंधित वित्तीय वर्ष उपलब्ध बजट व्यवस्था के अनुसार शासन से वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त चयनित हथकरघा बुनकरों के विद्युत प्रतिपूर्ति की धनराशि व्यय हेतु प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेगी। प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 लखनऊ द्वारा उक्त धनराशि लाभार्थी हथकरघा बुनकरों के विद्युत कनेक्शन सं0/विद्युत खाता सं0 के सापेक्ष समायोजित करने की कार्यवाही सम्पन्न करायी जायेगी।

1.6–सदुपयोगिता प्रमाण–पत्र का प्रेषण

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 लखनऊ, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय उ0प्र0 कानपुर से प्राप्त धनराशि के अनुसार हथकरघा बुनकरों के विद्युत बिलों पर छूट प्रदान कर सूची सहित सदुपयोगिता प्रमाण–पत्र हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय, कानपुर को उपलब्ध करायेंगे। हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय, कानपुर द्वारा परिक्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से उक्त सदुपयोगिता प्रमाण–पत्रों का सत्यापन कराने के उपरान्त समस्त सदुपयोगिता प्रमाण–पत्र को संकलित कर उ0प्र0 शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

भवदीय,

(कुमार कमलेश)
प्रमुख सचिव।

संख्या–768(1)/63–व0उ0–2016, तद्‌दिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को गोपन अनुभाग–1 के अशासकीय संख्या–4/2/7/2016–सी0एक्स0(1) दिनांक 31 मई 2016 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– मुख्य सचिव/सह अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
2– प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
3– प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
4– प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
5– निदेशक, (वित्त) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ।
6– प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल/मध्यॉचल, विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/लखनऊ।
7– मुख्य अभियन्ता, नियन्त्रण एवं अनुश्रवण इकाई (वित्तीय) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, चतुर्थ तल, शक्ति भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ।
8– विशेष सचिव, ऊर्जा अनुभाग–1, उ0प्र0 शासन।
9– वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1/वित्त (व्यय–नियन्त्रण) अनुभाग–6, उ0प्र0 शासन।
10– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरिशंकर भट्ट)
उप सचिव।

संख्या–768(2)/63–व0उ0–2016–तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि कृपया इस योजना व्यापक प्रचार–प्रसार समस्त समाचार पत्रों में एवं अन्य प्रचार माध्यमों से करवाने का कष्ट करें।

संलग्नक:–यथोक्त।

आज्ञा से,

(हरिशंकर भट्ट)
उप सचिव।

हथकरघा बुनकरों को विद्युत दर में छूट की प्रतिपूर्ति दिये जाने हेतु निर्धारित सूचना/विवरण का प्रारूप

क0 सं0	हथकरघा बुनकर का नाम	पिता/पति का नाम	पता	स्वीकृत विद्युत भार (किलो वाट में)	संबंधित विद्युत वितरण खण्ड का नाम जहाँ हथकरघा बुनकर का कनेक्शन पंजीकृत है	हथकरघा बुनकर का विद्युत कनेक्शन संख्या/मीटर संख्या जिसके सापेक्ष विद्युत छूट की धनराशि समायोजित की जायेगी	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8

उ — अ 12

घोषणा पत्र

पासपोट साईज फोटो

अधिशाषी अभियन्ता/उपखण्ड अधिकारी
विद्युत नगरीय वितरण खण्ड/नगरीय उपखण्ड
....

मैं (हथकरघा बुनकर का नाम).. पुत्र/पत्नी..............................निवासी............................ निम्नवत् घोषणा करता/करती हूँ

1– मेरा आधार कार्ड संख्या/बुनकर परिचय पत्र संख्या/मतदाता पहचान पत्र संख्या:–..
2– संबंधित बुनकर सहकारी समिति का नाम:–..
3– पता (शहरी क्षेत्रो हेतु):– मकान न0.........................मोहल्ले का नाम.........................वार्ड का नाम एवं संख्या................ नगर निकाय का नाम.......................................जिला...
4– पता (ग्रामीण क्षेत्रो हेतु):–ग्राम पंचायत का नाम..राजस्व ग्राम का नाम.. विकास खण्ड का नाम.................................... तहसील का नाम...जिला..........................
5– ग्रुप संख्या/बुक संख्या/संयोजन संख्या:–..
6– संबंधित विद्युत वितरण खण्ड का नाम (जहाँ हथकरघा बुनकर का कनेक्शन पंजीकृत है)..
7– (वर्तमान स्वीकृत भार):–..
8– हथकरघा बुनकर को देय सब्सिडी की राशि प्रति माह एवं प्रति वर्ष **रू0 328 प्रति माह अर्थात रू0 3936 प्रति वर्ष**

मै...प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त सूचना मेरी जानकारी के अनुसार सही एवं सत्य है। मैं देय सब्सिडी रू0 328/माह अर्थात रू0 3936/वर्ष के अतिरिक्त देय विद्युत बिल की धनराशि स्वयं वहन करूँगा।
दिनांक

आवेदक के हस्ताक्षर

फील्ड कार्मिकों की सत्यापन आख्या

श्री/श्रीमती/कु0...के उक्त आवेदन पत्र की स्थलीय जॉच मेरे द्वारा की गयी। वर्णित पते...पर आवेदक के निवास करने एवं उसके नाम से विद्युत कनेक्शन होने की पुष्टि हुई। योजना के प्राविधानानुसार आवेदक को **हथकरघा बुनकरों को विद्युत दर में छूट की प्रतिपूर्ति** योजना का पात्र/अपात्र पाया गया।

सत्यापन करने वाले पर्यवेक्षक/निरीक्षकों के हस्ताक्षर, नाम, मोहर व निरीक्षण का दिनांक सहित